भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1143

उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024

सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार का सृजन

1143. श्रीमती भारती पारधी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष आठ मिलियन रोजगार का सृजन किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या 15-29 वर्ष के बीच के युवा कार्यबल का केवल चार प्रतिशत ही औपचारिक रूप से कुशल है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे परिदृश्य में उन्नत कौशल विकास कार्यक्रमों की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस अंतर को पाटने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई गई है; और

(च) यदि नहीं, तो कुशल कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कार्यवल को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और अपेक्षित निधि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख रोजगार सृजन करने की जरूरत है।

(ग) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिन्होंने व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया, 34.1% था, जिसमें औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 4% शामिल हैं।

(घ) कौशल विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि इससे देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्र के युवाओं की नियोजनीयता में सुधार होगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस कर भविष्य के लिए तैयार करना है।

(ङ) और (च) पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस के कार्यान्वयन के लिए बजट के माध्यम से आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाती है। विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में इन स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

स्कीम का नाम	**जारी कुल निधि**			
	वित्तवर्ष-2021-22	वित्तवर्ष-2022-23	वित्त वर्ष-2023-24	वित्त वर्ष-2024-25
पीएमकेवीवाई वर्ष) 2021-22 से 2024 अक्तूबर 31 (तक	475.61	173.99	710.88	646.39
जेएसएस वर्ष) 2021-22 से 10 नवंबर, 2024 तक(	137.63	154. 65	154.37	35.65
एनएपीएस वर्ष) 2021-22 से 31 अक्तूबर, 2024 तक(	241.60	335.67	632.82	212.79

आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

*****